इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 6 जनवरी 2012

संस्थान की ओर से अपने सभी पाठकों को अत्यधिक सुखद एवं समृद्ध नव-वर्ष 2012 की शुभ कामनाएं !

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ---------- ----------5
सूक्ष्मवित्त ---------- 5
विदेशी मुद्रा ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षा - 16 दिसम्बर, 2011

मौद्रिक उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) 8.5% पर अपरिवर्तित।

- चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 7.5% पर अपरिवर्तित।

- सीमान्त आपाती सुविधा (MSF) 9.5% की दर पर।

- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 6% पर अपरिवर्तित।

वृद्धि / मुद्रास्फीति से सम्बन्धित पूर्वानुमान

- 2011-12 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ कर 6.9% हुई।

- वर्षानुवर्ष आधार पर शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति व्यापक रूप से मुख्यठ प्राथमिक खाद्य वस्तुओं की स्फीति में कमी के कारण अक्तूबर के 9.7% से घट कर नवम्बर में 9.1% हुई।

- ईंधन समूह की मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई।

- व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि में 2011-12 की पहली छमाही में 40.6% से अक्तूबर-नवम्बर में वर्षाबुवर्ष आधार पर औसतन 13.6% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। अमरीकी ऋणगत हानि (downgrade) के सामने आने पर 15 दिसम्बर, 2011 को अमरीकी डालर के समक्ष रुपये में 5 अगस्त 2011 के उसके स्तर की तुलना में लगभग 17% का मूल्यह्रास हुआ।

मुद्रा, ऋण और चलनिधि की स्थितियां

- मुद्रा आपूर्ति (एन 3) की वर्षानुवर्ष वृद्धि वित्तीय वर्ष की शुरूआत में 17.2% के स्तर से 2 दिसम्बर 2011 को घट कर 16.3% हो गई, यद्यपि वह वर्ष के लिए निर्धारित 15.5% के प्रक्षेप वक्र से अब भी अधिक है। हालांकि, 02 दिसम्बर 2011 को वर्षानुवर्ष खाद्येतर ऋण वृद्धि 18% के सांकेतिक पूर्वानुमान से कम रही।

- चलनिधि की स्थितियों में कमी में नवम्बर 2011 के दूसरे सप्ताह में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई । दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत उधार राशियां अप्रैल - अक्तूबर 2011 के दौरान लगभग 49,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर नवम्बर-दिसम्बर (15 दिसम्बर तक) के दौरान लगभग 89,000 करोड़ रुपये हो गईं। चलनिधि की स्थिति सहज बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर-दिसम्बर 2011 में कुल 24,000 करोड़ रुपये की रकम के लिए तीन अवसरों पर खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs) आयोजित किए।

- वर्तमान में, मुद्रा बाज़ार में दबाव के कोई संकेत नहीं दिखाई देते। एक-दिवसीय मांग मुद्रा दर नीतिगत पुनर्खरीद दर के आसपास स्थिर है और सीमांत आपाती सुविधा जैसी चलनिधि सुविधाएं अप्रयुक्त पड़ी हैं। हालांकि, चलनिधि समायोजन सुविधा से उधार लेने की प्रवृत्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की सहूलियत के स्तर से निरंतर रूप से अधिक है, जब कभी उपयुक्त समझा जाएगा खुले बाज़ार के और परिचालनों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य घटनाएं

समेकन के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट कर 46 हो जाएगी

सरकार ने भारत के वित्तीय समावेशन अभियान में प्रासंगिक प्रतिभागियों - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के बीच जोरदार समेकन की शुरूआत कर दी है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायता करने के लिए किसी एक ही राज्य में भौगोलिक रूप से संन्निकट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन आसन्न है। गरीबों और बैंकिंग सुविधा रहित लोगों को सेवाएं बढ़ाने के लिए 27 अपेक्षाकृत बड़ी और सुदृढ़ बैंकिंग संस्थाओं की रचना करने के लिए लगभग 63 क्षेत्रीय बैंकों को समामेलित किया जाएगा

।

विलयन की प्रक्रिया की शुरूआत करने के लिए सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजन करने वाले बड़े वाणिज्यिक बैंकों से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। विलयन के पश्चात बैंकों की संख्या 82 से घट कर 46 हो जाएगी, जबकि प्रायोजक बैंकों की संख्या 26 से घट कर 20 हो जाएगी ।

ग्रामीण बैंकों का कुल नेटवर्क 16,000 शाखाओं का है, जो ग्रामीण और कस्बाई केन्द्रों में भारत के वा णिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का एक-तिहाई है।

2010 -11 में मोबाइल बैंकिंग की वृद्धि 300 % रही

देश में मोबाइल बैंकिंग का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2010-11 में मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों की कुल संख्या 9.60 मिलियन (780, 648 करोड़ रुपये के मूल्य की) रही - जो परिमाण एवं मूल्य के अनुसार 300% से अधिक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 52 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित और परिचालित अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (IMPS) ने मोबाइल फोनों के माध्यम से विभिन्न बैंकों में खातों के बीच निधियों के अंतरण को भी सुगम बना दिया है। 3 जी की शुरूआत ने उच्चतर डाटा अंतरण दरें उपलब्ध करा दी है तथा वे इस वृद्धि में योगदान भी कर रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक रुपये के प्रतीक वाले 500 रुपये के नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही 500 रुपये के ऐसे नोट जारी करेगा जिन पर रुपये का प्रतीक मुद्रित होगा। 500 रुपये वाले नोट महात्मा गांधी 2005 वाली श्रृंखला में होंगे, जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के हस्ताक्षर तथा बैंकनोट के पृष्ठभाग पर मुद्रण वर्ष का उल्लेख होगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

टियर II शहरों में बैंक शाखाएं अब भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को (2001 की जनगणना के अनुसार) 50,000 से अधिक किन्तु 1 लाख से कम की आबादी वाले शहरों अर्थात् टियर II केन्द्रों में अपने अनुमोदन के बिना प्रशासनिक कार्यालय अथवा सेवा शाखाएं खोलने की अनुमति देते हुए अपनी शाखा प्राधिकरण नीति को शिथिल कर दिया है। यह कार्रवाई घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को टियर II वाले केन्द्रों में प्रशासनिक कार्यालय, केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (CPCs) अथवा सेवा शा खाएं खोलने में समर्थ बनाएगी। उक्त निर्णय इस आश्य की एक टिप्पणी के अनुसरण में लिया गया है कि टियर II वाले केन्द्रों में शाखा विस्तार वांछित गति से नहीं हो पाया।

गैर-वित्तीय कम्पनियों में बैंकों के निवेश हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन निर्देशों के अनुसार किसी बैंक द्वारा गैर-वित्तीय सेवा कम्पनी में इक्विटी निवेश कम्पनी की चुकता पूंजी के 10% अथवा बैंक की चुकता पूंजी और आरक्षित नि धियों के 10%, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा के अध्ययीन होगा। इस 10% की सीमा का निर्धारण करने के लिए 'व्यापार के लिए धारित" श्रेणी के तहत धारित इक्विटी निवेश की भी गणना की जाएगी । इस 10% की सीमा के भीतर वाले निवेश - वे चाहे व्यापार के लिए धारित श्रेणी के अधीन हों या नहीं - के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ये दिशानिर्देश इस आधार पर जारी किए हैं कि किसी बैंक के लिए यह संभव है कि वह अन्य संस्थाओं में अपनी धारिताओं के माध्यम से वित्तीय सेवा कम्पनियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण रखे या उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखे और इसप्रकार वह बैंकों के लिए अननुमत कार्यकलापों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलग्न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का पालन करने हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों और धन-शोधन निवारण (ALM) दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने हेतु कहा है। इनके गैर-अनुपालन अथवा उल्लंघन की किसी भी घटना पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जुरमाना लागू होगा। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्रत्येक ग्राहक की जोखिम रूपरेखा)प्रोफाइल) तैयार करें तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण ग्राहकों के सम्बन्ध में वर्धित विहित कर्तव्यपरायणता बरतें।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों पर कोई सीमा नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रति ग्राहक प्रति लेनदेन से सम्बन्धित 50, 000 रुपये की सीमा समाप्त कर दी है। अब, अलग-अलग बैंक स्वयं अपने जोखिम-बोध और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के आधार पर लेनदेन सीमाएं तय कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को अधिकाधिक रूप से मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों के परिमाण और मूल्य भी ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

बैंक खाते बंद करने हेतु कोई प्रभार नहीं वसूल कर सकते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधुनिक बैंकिंग को पेंशनभोगियों और गरीब लोगों सहित सभी लोगों के लिए

अभिगम्य बनाने की मुहिम के तहत बैंकों से ग्राहकों से अपने खाते बंद करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रभार न वसूल करने के लिए कहा है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

कार्ड लेनदेनों का मूल्य 33% बढ़ा

अक्तूबर 2011 में किए गए क्रेडिट कार्ड लेनदेन 8,997.63 करोड़ रुपये के मूल्य वाले थे- जो पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 33% अधिक है। इससे यह ध्वनित होता है कि लोग भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक विधि को अधिकाधिक रूप से अपना रहे हैं। हालांकि, प्रचलन में रहे क्रेडिट कार्डों की संख्या 31 अक्तूबर 2011 के दिन 3.3% घट कर 1.76 करोड़ रह गई थी। डेबिट कार्ड के लेनदेनों में अक्तूबर 2011 में 50.5% की वृद्धि हुई, जो बढ़ कर 5, 591.06 करोड़ रुपये हो गए। 31 अक्तूबर 2011 के दिन 25.55 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड उपयोग में थे, जो एक वर्ष पहले की अव धि के मुकाबले 22.8% अधिक हैं।

ऋण वृद्धि मंद पड़ी : 18% के निकट पहुंची

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरंतर दर वृद्धि अचूक सिद्ध होती लगती है। खाद्येतर बैंक ऋण में अक्तूबर 2011 में पिछले वर्ष के 20.8% की तुलना में 18.2% की वृद्धि हुई। वर्तमान वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमान 18% है। उद्योग को ऋण में 23.1% (पिछले वर्ष में 24.8%) की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र को ऋण में 18.2% (पिछले वर्ष 21.5%) बढ़ोतरी हुई तथा वा णिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण में 12.8% (पिछले वर्ष 7.6%) की वृद्धि हुई। केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण में वृद्धि वर्षानुवर्ष आधार पर 41.5% (पिछले वर्ष 26.1%) रही और वैयक्तिक ऋणों के रूप में वृद्धि 14.5% (12%) रही।

ग्राहक संपर्क सप्ताह

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और उनके ग्राहकों को इस बात से अवगत कराने के लिए कि 'ग्राहक राजा है', वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दिसम्बर के मध्य में 'ग्राहक संपर्क सप्ताह' का आयोजन करने के लिए कहा है। यह प्रयास ग्राहक सेवा में सुधार लाने, स्टाफ सदस्यों को ग्राहकों पर शिष्टतापूर्वक ध्यान देने, स्टाफ-सदस्यों के परिवादों को समझने तथा उन्हें अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया था। 'ग्राहक संपर्क सप्ताह' के दौरान अंचल प्रबन्धकों, क्षेत्रीय प्रबन्धकों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से यह अपेक्षित था कि वे बैंक की सेवा के बारे में ग्राहकों (बड़े और छोटे) के प्रभाव का पता लगाने और संभाव्य सुधारों के सम्बन्ध में प्रति-सूचना प्राप्त करने के लिए कम से कम दो दिनों तक विविध शाखाओं का दौरा करें।

छोटे उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण प्राप्त होगा

7

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से छोटे उधारकर्ताओं को ऐसी कार्यशील पूंजी के रूप में धन उधार देने के लिए कहा है, जिसमें उधारकर्ता ब्याज का भुगतान ऋण की सम्पूर्ण रकम के बजाय केवल बैंक से आहरित निधियों पर करता है। यह मुहिम छेटे उधारकर्ताओं को और अधिक सु विधा प्रदान करने तथा उनकी निधियों की लागत को कम करने के लिए है, क्योंकि उधारकर्ता किसी भी प्रकार की अधिशेष नकदी को बैंक में पुन: जमा कर सकता है और अपने ऋण को कम कर सकता है। मंत्रालय नें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिए गए सावधि ऋणों को 31 दिसम्बर 2011 तक कार्यशील पूंजी ऋणों में परिवर्तित करने का निदेश दिया है । इस मुहिम से बैंकों की ऋण-बहियों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कार्यशील पूंजी ऋणों में जब तक कि ऋण वापस न मांगा जाए, मूलधन की रकम प्रति वर्ष पुनर्निधारित की जाती है। इसके अलावा, बैंकों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण अपेक्षाकृत सरल होते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच उधारकर्ताओं के लेनदेनों तक होती है। उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2010 के दिन 48.51 लाख स्वयं सहायता समूहों के पास बकाया बैंक ऋण 28,308 करोड़ रुपये मूल्य के थे।

2015 तक एशिया सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली थोक बैंकिंग का केन्द्र बन जाएगा

मैककिंसी रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक एशिया कारपोरेट और निवेश बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन जाएगा। कारपोरेट और निवेश बैंकिंग (CIB) के राजस्व, जो 2010 में 442 अमरीकी डालर थे बढ़ कर 790 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएंगे। बैंकों के ध्यान का केन्द्रबिन्दु जापान जैसे विकसित ए शियाई देशों से हट कर दो एशियाई महारथियों - भारत और चीन के बन जाने के फलस्वरूप वैश्विक कारपोरेट और निवेश बैंकिंग बाज़ार की वृद्धि में एशिया की हिस्सेदारी विस्मयकारी 45% हो सकती है । उक्त अध्ययन में 45 वरिष्ठ बैंकिंग कार्यपालकों के साथ एशिया के 100 बड़े और 200 मझोले आकार वाले थोक बैंकिंग ग्राहकों के सर्वेक्षण को प्रकट किया गया है। मैककिंसी रिपोर्ट का कहना है कि मझोले कारपोरेटों से बैंकों को प्राप्त होने वाला राजस्व मूलत: भारत और चीन में होने वाले विस्तार से प्रेरित हो कर दोगुना बढ़ते हुए लगभग 308 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा। 2015 तक इन देशों में होने वाली वृद्धि के कारण पूंजी बाज़ार के निवेश और बैंकिंग के अवसर दोगुना बढ़ कर 158 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएंगे।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है। हाल के महीनों में बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में पुनर्संरचित और क्षतिग्रस्त आ स्तियों में बढ़ोतरी हुई है। जून 2011 में इन क्षेत्रों में पुनर्संरचित खाते एक साथ मिल कर मार्च 2011 के 5.0% की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र के कुल पुनर्संरचित खातों के 8.5% थे। अनर्जक आस्तियों की वृ

द्धि मे योगदान करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा, स्थावर संपदा और मूलभूत

सुविधा क्षेत्र। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2011 के 2.3% से बढ़ कर सितम्बर 2011 के अंत में 2.8% हो गया । निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2011 के अंत में .9% से बढ़ कर सितम्बर 2011 में 1.2% हो गया, जबकि विसर्पण (slippage) अनुपात मार्च से सितम्बर 2011 की अवधि के बीच 1.6% से बढ़ कर 1.9% हो गया। 2011-12 की पहली छमाही में 25.5% की वृद्धि दर 2006-2011 के दौरान वाली छमाहियों में दर्ज 7.4% की औसत वृद्धि दरों के मुकाबले तीन गुने से भी अधिक रही।

वित्तीय समावेशन से कर लाभ मिलेगा

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शीघ्र ही वित्तीय समावेशन की ओर ले जाने वाले कार्यकलापों के माध्यम से अर्जित लाभों पर कर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा, इन संस्थाओं को इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि को अपेक्षाकृत एक लम्बी अवधि तक आगे ले जाने की अनुमति भी दी जा सकती है। वर्तमान में, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के तहत किसी गैर-सट्टेबाजी वाली व्यावसायिक गतिविधि से होने वाली हानियों को ही 8 उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में कर से छूट अथवा हानियों को अपेक्षाकृत लम्बी अवधि तक ले जाने की सुविधा से, विशेषत: कम अर्जन वाले क्षेत्रों में. कोई नया व्यय वहन करने को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों में अंतरपणन अभिलाभ के लिए पुनर्खरीद खिड़की पर बैंकों की भीड़

बैंक अंतरपणन करने हेतु 7 से 10 दिनों की संक्षिप्त परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों (CPs) और जमा प्रमाण पत्रों (CDs) में निधियों का निवेश करने के लिए पुनर्खरीद (Repo) खिड़की से उधार लेने के लिए चलनिधि पर और अधिक दबाव बढ़ाते हुए छीना-झपटी कर रहे ह। ये वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र इस समय 9% और 9.25% पर खरीदे-बेचे जा रहे हैं, जबकि बैंक अपने बॉण्डों को 8.50% पर गिरवी रख कर भारतीय रिज़र्व बैंक से चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत एक-दिवसीय निधियां उधार ले सकते हैं। बैंकों के पास इस समय 24% के स्थान पर लगभग 5% अधिक की सांविधिक अपेक्षा मौजूद है। जो बात इस अंतरपणन को विधिमान्य बनाती है वह यह है कि बैंक अतिरिक्त सरकारी बॉण्डों का उपयोग गौण बाज़ार में जमा प्रमाण पत्रों अथवा वाणिज्यिक पत्रों के क्रय-विक्रय का कार्य करते हुए चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत उधार लेने के लिए कर सकते हैं । हालांकि, धनलक्ष्मी बैंक के खज़ाने के प्रधान श्री रमेश कृष्णन यह मत व्यक्त करते हैं कि "हमें केवल निर्गम दर पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये लिखत किस प्रतिफल पर खरीदे-बेचे जा रहे हैं।'

पूंजी बाज़ार एक्सपोजर मानदंडों के बाहर वाली वित्तीय यूनिटों में निवेश हेतु अधिक पूंजी

1ली जनवरी 2012 से बैंकों को उन वित्तीय संस्थाओं में अपने निवश के लिए अधिक पूंजी अलग र खनी होगी, जिन्हें वर्तमान में पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (CME) मानदंडों से छूट प्राप्त है, उदाहरण के लोए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSSL), राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) और एमसी एक्स। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया है कि जोखिम-भार और पूंजी आवश्यकता को निवेश की जोखिम विशेषताओं के साथ सम्बद्ध रखा जाना चाहिए, चाहे उन्हें पूंजी बाज़ार एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्राप्त हो अथवा नहीं। जोखिम-भार सम्बन्धी मानदंडों की कठोरता इक्विटी बॉण्ड और पण्य बाज़ार में अस्थिरता के समांतर होती है। भारतीय रि ज़र्व बैंक के अनुसार बैंकिंग बहियों में पूंजी बाज़ार एक्सपोजर मानदंडों से छूट प्राप्त सहित पूंजी निवेशों पर 125% (अर्थात् सकल इक्विटी स्थिति पर 11.25% का पूंजीगत प्रभार अथवा प्रतिपक्ष के बाहरी श्रेणी-निर्धारण द्वारा यथा-वांछित, (अथवा उसके अभाव में) इनमें से जो भी अधिक हो, का जोखिम-भार लागू होगा । वर्तमान में निर्धारित जोखिम-भार 100% है। हालांकि, इसप्रकार के निवेशों के व्यापारिक बही में होने पर उन पर सकल इक्विटी स्थितियों के 9% के सामान्य बाज़ार जोखिम के अलावा 20.25% का पूंजीगत प्रभार अथवा प्रतिपक्ष के बाहरी श्रेणी-निर्धारण द्वारा यथा-वांछित (अथवा उसके अभाव में) इनमें से जो भी अधिक हो, काजोखिम-भार लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के बिगड़ते ऋण संविभाग के प्रति चिंता व्यक्त की

भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार जून से ऋण वृद्धि के मंद हो जाने और विसर्पणों (slippages) के ऋण वृद्धि की गति से आगे निकल जाने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों में वृद्धि हो रही है। अपेक्षाकृत अधिक निधीयन लागतों के कारण बैंकिंग क्षेत्र को लाभप्रदता के दबावों तथा मंद अर्थव्यवस्था के कारण आस्ति गुणवत्ता के दबावों का सामना करना पड़ा। भारतीय बैंकों के जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) और अनर्जक आ स्तियों के अनुपात (NPAR) के प्रमुख विकसित देशों तथा समकक्ष उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं से अनुकूल रूप से तुलनीय होने के बावजूद इन मापदंडों में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट की सर्वोच्च जोखिम के रूप में पहचान की गई है, जिसके बाद बाज़ार की उच्च अस्थिरता, उच्च ब्याज दरों , वैश्विक जोखिमों आदि का स्थान है।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि सुनिश्चित करेगा

10

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगा। हालांकि उन्होंने नकदी की कठिन स्थिति को सहज बनाने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी किए जाने की संभावना का कोई संकेत नहीं दिया। इस समय लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की मंडराती नकदी की कमी बैंकिंग प्रणाली में मौजूद कुल जमाराशियों के लगभग 1% के भारतीय रिज़र्व बैंक के सहूलियत के स्तर से अधिक है, जो मोटे तौर पर वर्तमान स्तरों पर 69,000 करोड़ रुपये में रूपांतरित होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30,000 करोड़ रुपये के लक्ष्यांकित में से 24,300 करोड़ रुपये के बॉण्डों को वापस खरीद लिया है। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का इस आधार पर समर्थन किया है कि इससे खाद्य कीमतों में कमी आएगी तथा यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक होगा।

बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि

यद्यपि चलनिधि पर दबाव से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार में बॉण्डों की खरीद करता है, तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली में निधियों की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद है। शीर्ष बैंक विशष्ट रूप से प्रणाली में मौजूद चलनिधि की कमी का प्रबन्धन करने के लिए उपरोक्त खरीदियां करता है। हाल के दिनों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की खरीद के माध्यम से 15,218 करोड़ रुपये का निषेचन किया है। इसके अलावा, बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद (रेपो) नीलामियों से लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये उधार लिये हैं।

मौद्रिक कठोरता मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में सहायक हुई

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि वृद्धि और मुद्रास्फीति को स्वीकार्य सीमाओं के भीतर नियंत्रित रखने के बीच सही संतुलन को बनाये रखना शीर्ष बैंक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की उस कठोर मौद्रिक नीति, जिसकी वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आलोचना की जा रही है, का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह चिंता वैध है कि मार्च 2010 से ब्याज दरों में 13 वृद्धियों के बावजूद मुद्रास्फीति में पर्याप्त रूप से कमी नहीं आई है, किन्तु यदि मौद्रिक कठोरता न बरती गई होती, तो मूल्य वृद्धि की दर इससे अधिक रही होती। मुद्रास्फीति की दर इस समय की 9.7% के विपरीत 12-13% के स्तर पर अधिक रही होती।

रुपये में गिरावट की प्रवृत्ति बढ़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक सभी साधनों का उपयोग करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि रुपये के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति के बढ़ने पर भारतीय रिज़र्व बैंक उस स्थिति को रोकने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का

उपयोग करेगा। वह पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करेगा, यद्यपि प्रारक्षित अनुपातों में कमी को अब तक इसका कोई विकल्प नहीं माना जा रहा है। समकारी हस्तक्षेप किए जा चुके हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में कमी लाने की अपनी नीति पर पूर्ववत

कायम है। वैश्विक जोखिम विरुचि की पृष्ठभूमि में जुलाई 2011 से भारतीय मुद्रा में लगभग 17% का मूल्यह्रास हुआ है। मुद्रा में नवम्बर माह में उस समय लगभग 7% की गिरावट आई, जब वह गिर कर डालर (ग्रीन-बैक) के समक्ष अब तक के सर्वाधिक न्यून स्तर 52.70 पर आ गई। विदेशी मुद्रा प्रवाहों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवरोधक उपायों की घोषणा की है। उसने सरकारी और कारपोरेट ऋण लिखतों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी है, अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमाएं बढ़ा दी हैं तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) की समस्त अन्तर्निहित लागतों की उच्चतम सीमाएं भी बढ़ा दी हैं।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 10 मिलियन अमरीकी डालर तक की बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमा की अनुमति होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान के अनुसार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को अब 10 मिलियन तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार आहरित करने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु बशर्ते सूक्ष्म वित्त संस्थाएं एक यथोचित प्रतिरक्षण (hedging) रणनीति प्रस्तुत करें। उक्त मुहिम से उस चलनिधि के मुद्दे के हल होने की आशा है, जिससे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र जूझ रहा है। विनियामक वर्तमान नियमों में मौजूद उस एक विसंगति को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो केवल गैर-सरकारी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ही बाह्य वाणिज्यिक उधार सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देता है। अधिकतम सीमा 5 मिलियन अमरीकी डालर पर ही निर्धारित की गई थी। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं काफी लम्बे समय से भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थिति की समीक्षा के लिए अनुरोध कर रही थीं। इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए श्री खान ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए स्वयं अपनी विश्वसनीयता, पोषणीयता और उत्तरदायित्व (CSR) सम्बन्धी पहलकदमी से प्रेरित होने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

बीमा

केवल पंजीकृत निकाय ही एजेन्ट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर सकते हैं

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने एजेन्ट प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के अनुमोदन एवं पुनर्नवीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ऐसे उद्देश्य के लिए सत्यापन और लाइसेंस मंजूर करने का कार्य उसके द्वारा 2010 में गठित स्थायी समिति द्वारा किया

जाएगा। केवल कम्पनी अधिनियम के तहत कम्पनी और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी एवं न्यास के रूप में पंजीकृत संस्थाएं ही एजेन्ट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।

बीमा क्षेत्र में तुरंत कार्रवाई वाली परिवाद निवारण व्यवस्था

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा एकीकृत परिवाद प्रबन्धन प्रणाली (IGMS) का गठन किए जाने के फलस्वरूप अब बीमा क्षेत्र में परिवाद निवारण को तुरंत कार्रवाई के अधीन ला दिया गया है। अब किसी परिवाद का निवारण लगभग 14 दिनों में कर दिया जाता है। पॉलिसी बॉण्डों / संविदा दस्तावेजों की अप्राप्ति सूची में शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद जीवन बीमा में विशेषत: यूनिट-सम्बद्ध खंड में पॉलिसियों की गलत बिक्री का स्थान है। जहां ग्राहक प्रसन्न हैं, वहीं इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप कुछेक मामलों में बीमाकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई हुई है। प्रत्यक्ष निरीक्षणों और रिपोर्ट की गई चूकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

सूक्ष्मवित्त

छोटी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विलयन बीमार क्षेत्र के लिए सहायक होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती के अनुसार अधिक अनर्जक आस्तियों की पृष्ठभूमि में धन जुटाने के लिए संघर्षरत छोटी सूक्ष्म वित्त संस्थओं के समेकन से उक्त रुग्ण क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ाते हुए उसकी समस्याओं को हल करने में सहायता प्राप्त होगी। इससे उन्हें सरलता से निधियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शीर्ष बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की एक अलग श्रेणी - यथा- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सूक्ष्म वित्त संस्थाएं बना कर उन्हें सीधे अपने पर्यवेक्षण में ला दिया है । नये दिशानिर्देशों में कठोर प्रावधान एवं उधारदायी मानदंड निर्धारित किए गए हैं। डॉ. चक्रवर्ती का कहना है कि इसके बावजूद, अच्छे ऋण इतिवृत्त वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंकों से निधीयन की प्राप्ति जारी रहेगी।

सूक्ष्म वित्त निकाय साझी आचरण संहिता के तहत एकीकृत

अब तक के इतिहास में पहली बार सा-धन और एमफिन के तहत समूहीकृत देश की सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सा-धन, समुदाय विकास वित्त संस्था संघ और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क (एमफिन) के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई साझी आचरण संहिता के प्रयोजन हेतु एकत्रित हो गई हैं। एम फिन में मुख्यत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का समावेश है, जबकि सा-धन की सदस्यता स्वरूप की दृष्टि से अधिक सांसारिक तथा लाभ के लिए नहीं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी मुक्त है। नयी संहिता इस बात पर बल देती है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ग्राहकों को अति-ऋणग्रस्तता से बचाने का प्रयास करें। उन्हें ऋण स्वीकृत करने से पहले

ग्राहकों की आवश्यकाओं और चुकौती क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए अपनी आंतरिक ऋण नीति के अनुसार उचित कर्तव्यपरायणता अवश्य बरतनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सूक्ष्म वित्त

संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार (रों) द्वारा यथा-निर्धारित किसी भी ग्राहक के लिए कुल ऋण सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने ग्राहक को जानिए के मानक मानदंटों के अनुरूप सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त की जानी चाहिए।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2.48 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 306.8 बिलियन अमरीकी डालर हुईं

सोने के प्रारक्षित भण्डार और विदेशी मुद्रा आस्तियों के मूल्य में तीव्र वृद्धि की पृष्ठभूमि में 4 सप्ताहों में पहली बार देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 2.479 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 306.844 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। 26 नवम्बर को समाप्त सप्ताह में प्रारक्षित निधियां 4.259 बिलियन अमरीकी डालर की विस्मयकारी गिरावट के साथ घट कर 304.365 बिलियन अमरीकी डालर रह गई थीं। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों के विवरण से यह पता चलता है कि सोने के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप सोने के प्रारक्षित भण्डार का मूल्य 1.315 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ गया। अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से अभिव्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों के प्रारक्षित भण्डार में रखी गई यूरो, स्टर्लिंग और येन जैसी गैर-अमरीकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास के प्रभाव का समावेश होता है। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान अमरीकी डालर के समक्ष यूरो का मूल्य 1.332 अमरीकी डालर से बढ़ कर 1.3391 अमरीकी डालर हो गया। सप्ताह के दौरान यह 1.324 अमरीकी डालर के न्यून स्तर तक पहुंच गया था। विशेष आहरण अधिकारों का स्तर 12 मिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 4.501 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश की प्रारक्षित निधि की स्थिति 7 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट के साथ 2.610 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई।

जनवरी 2012 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.12805	0.752	0.858	1.048	1.262

जीबीपी	1.87069	1.3435	1.3680	1.4551	1.5610
यूरो	1.91343	1.324	1.388	1.552	1.750

जापानी येन	0.55429	0.384	0.403	0.448	0.498
कनाडाई डालर	1.81200	1.135	1.216	1.325	1.456
आस्ट्रेलियाई डालर	4.88400	3.885	3.925	4.200	4.315
स्विस फ्रैंक	0.32500	0.125	0.218	0.405	0.603
डैनिश क्रोन	1.58400	1.1150	1.2140	1.4000	1.6070
न्यूजीलैंड डालर	3.52000	2.725	2.860	3.050	3.300
स्वीडिश क्रोनर	2.90000	1.867	1.856	1.895	1.970

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**23 दिसंबर 2011 के दिन**	**23 दिसंबर 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	15 ,84, 605	300,,863
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 00 ,541	265, 656
ख) सोना	1, 46, 289	28, 041
ग) विशेष आहरण अधिकार	23, 448	4, 448
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	14, 327	2, 718

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नयी नियुक्तियां

- श्री बी.ए. प्रभाकर को आंध्रा बैंक के नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- श्री बी. राजकुमार को इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है ।

- श्री एम.एस. राघवन ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य-भार ग्रहण

कर लिया है।

- श्री के.के. मिश्र ने आंध्रा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवारंभ कर दी है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक	यूएई एक्सचेंज एण्ड फाइनैन्सियल सर्विसेज	भारत में एक्सप्रेस मनी सर्विसेज प्रदान करने के लिए । तमिलनाप्ड मर्कंटाइल बैंक अनिवासी भारतीयों से भारत में स्थित ग्राहकों और सामान्य जनता को अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से तत्काल धन अंतरण उपलब्ध कराएगा।
धनलक्ष्मी बैंक	भारतीय जीवन बीमा निगम	पॉलिसी धारकों को इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से पॉलिसी भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।
एमफिन	आईएफसी	सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए कोई उत्तरदायी वित्तीय रणनीति तैयार करने की मुहिम के रूप में
भारतीय रिज़र्व बैंक	थिंकसॉफ्ट	भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीकृत कोर बैंकिंग समाधान का परीक्षण करने के लिए। थिंकसॉफ्ट बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण एवं एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगी।
देना बैंक	टाटा मोटर्स	पात्र उधारकर्ताओं को गुणवत्ता के आधार पर टाटा मोटर्स द्वारा विनिर्मित वाणिज्यिक वाहनों की खरीद हेतु 7 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए 80% तक का (सड़क पर) ऋण उपलब्ध कराने के लिए

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने हाल ही में प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए प्रमुख सिद्धांतों में संशोधन पर परामर्शी दस्तावेज जारी किए हैं तथा सभी पहलुओं पर 20 मार्च 2012 तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। उक्त दस्तावेज विशेषत: केन्द्रीय बैंकरों और सामान्य रूप में बैंकरों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सम्बन्धित राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों के पर्यवेक्षण का मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराता है।

चूंकि उक्त दस्तावेजों में 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद बैंक पर्यवेक्षण के बारे में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक चिंतन की एक झलक प्रस्तुत की गई है, भारतीय बैंकरों के लिए उसे समझ लेना हितकर होगा। अपने पाठकों को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध

कराने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में हम आईआईबीएफ के आगामी अंकों में इस दस्तावेज का सारांश देना चाहते हैं।

सारांश

- प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांत (ये प्रमुख सिद्धांत बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के सुदृढ़ विवेकपूर्ण विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए यथार्थत: न्यूनतम मानक हैं। मूलत: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (उक्त समिति) द्वारा 1997 में जारी इनका उपयोग विभिन्न देशों द्वारा उनकी पर्यवेक्षी प्रणालियों की गुणवत्ता के निर्धारण तथा सुदृढ़ पर्यवेक्षी प्रथाओं के निर्देश चिन्ह की प्राप्ति के लिए भावी कार्य की पहचान करने के लिए आधार चिन्ह के रूप में किया जाता है। इन प्रमुख सिद्धांतों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक द्वारा भी विभिन्न देशों की बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणालियों एवं प्रथाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP) के संदर्भ में किया जाता है।
- ये प्रमुख सिद्धांत समिति द्वारा पिछली बार अक्तूबर 2006 में विश्वभर के पर्यवेक्षकों के सहयोग से संशोधित किए गए थे। जी 20 को वित्तीय संकट पर प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में अपनी अक्तूबर 2010 की रिपोर्ट में समिति ने विश्वभर में पर्यवेक्षी प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के अपने सतत कार्य के एक अंग के रूप में प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।
- मार्च 2011 में समिति द्वारा प्रमुख सिद्धांतों पर समूह को प्रमुख सिद्धांतों की समीक्षा और उसे अद्यतन करने का अधिदेश दिया गया। समिति का अधिदेश उक्त समीक्षा का कार्य वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं तथा सुदृढ़ पर्यवेक्षी प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए संकट-पश्चात वाले सबक सहित अक्तूबर 2006 से विनियामक परिदृश्य (landscape) को ध्यान में रखते हुए करने का था। इसका आशय विगत अवधि और बदलते वातावरण में सभी देशों में प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण को बढ़ावा देने के लिए इन प्रमुख सिद्धांतों की प्रासंगिकता को निरंतर आधार पर सुनिश्चित करना था।
- समीक्षा करते समय समिति ने इन प्रमुख सिद्धांतों को लचीला, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानक बनाए रखते हुए सुदृढ़ पर्यवेक्षण हेतु अवरोध निर्मित करने के प्रति सही संतुलन रखने का प्रयास किया था। समानुपातिकता की अवधारणा को प्रबलित करते हुए संशोधित प्रमुख सिद्धांत और उनके मूल्यांकन के मानदंड बैंकिंग प्रणालियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में सामंजस्य बिठाते हैं। समानुपातिक दृष्टकोण उन प्रमुख सिद्धांतों के अनुपालन के मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जो जोखिम प्रोफाइल तथा (बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों से ले कर छोटे, गैर-जटिल जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं तक)

बैंकों के व्यापक वर्णक्रम के प्रणालीगत महत्व के समनुरूप हैं।

- मौजूदा प्रमुख सिद्धांत और उनसे जुड़ी प्रमुख सिद्धांतों की कार्यप्रणाली (मूल्यांकन की कार्यप्रणाली), दोनों ही विविध देशों की अपनी पर्यवेक्षी प्रणालियों का मूल्यांकन करने तथा सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों की पहचान करने में उनकी सहायता करने की दृष्टि से अपने उद्धेश्य भलीभांति पूरे किए हैं। जबकि निरंतरता और तुलनीयता को बनाए रखने के लिए यथासंभव सचेतन प्रयास किए गए, वही समिति ने प्रमुख सिद्धांतों और मूल्यांकन की कार्यप्रणाली को एक ही व्यापक दस्तावेज़ में विलयित कर दिया। उनतीस सिद्धांतों वाले संशोधित सेट को पर्यवेक्षी अधिकारों (शक्तियों), उत्तरदायित्वों और कार्यों के साथ शुरू हो कर उसके बाद बैंकों की पर्यवेक्षी अपेक्षाओं, अच्छे कारपोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन तथा उसके साथ ही पर्यवेक्षी मानकों के अनुपालन पर बल देने वाले अधिक तर्कपूर्ण ढांचे के माध्यम से उनके कार्यान्वयन बढ़ावा देने वाला भी माना गया है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

'दर सुधार बंधक'

स्थिर दर वाले बंधक का एक ऐसा प्रकार, जिसमें इस आशय का एक खंड शामिल रहता है जो उधारकर्ता को बंधक पर स्थिर-ब्याज-दर वाले प्रभार को एक बार और बंधक के प्रारंभिक चरण में घटाने का पात्र बनाता है। इस विकल्प का प्रयोग उस समय किया जाएगा, जब ब्याज दरें घट कर उधारकर्ता की प्रारंभिक बंधक दर से कम हो जाती हैं। इस विकल्प के प्रयोग से एक शुल्क विशिष्ट रूप से जुड़ा होता है तथा प्रारंभिक बंधक में बाज़ार की ब्याज दर से उच्चतर ब्याज दर और / अथवा उच्च लागत निहित हो सकती है। हालांकि, दर में कटौती का यह विकल्प उधारकर्ता को पुनर्वित्तीयन की उस लागत से बचत करा सकता है, जो उनके दर सुधार विकल्प के प्रयोग की तुलना में अधिक हो सकती है।

शब्दावली

व्यापार के लिए धारित

व्यापार के लिए धारित प्रतिभूतियों (अथवा सहज रूप में व्यापारिक प्रतिभूतियों) को अल्पावधिक आस्तियां माना जाता है तथा उनका लेखांकन इसी प्रकार किया जाता है। व्यापार के लिए धारित प्रतिभूतियों में ऐसे ऋण एवं इक्विटी लिखत शामिल होते हैं, जो अल्पावधिक समयावधियों के ि

लए धारित किए गए हों, अल्प अवधि में ही मूल्य में परिवर्तन से लाभ कमाने के इरादे से खरीदे गए हों। , ,

18

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेन्टर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण की गतिविधियां

लीडरशिप कार्यक्रम

- संस्थान ने परसॉनेल डिसीजन्स इंटरनेशनल (PDI) नांइंथ हाउस के सहयोग से 15 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2011 तक शाखा प्रबन्धकों के सशक्तीकरण पर एक तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 14 सहभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- संस्थान ने 23 से 28 जनवरी 2012 तक अंतरराष्ट्रीय और उसके साथ ही भारतीय सहभागियों के लिए (बैंकिंग संस्थानों और बैंकों के लिए) एक छ: दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम (TTP) की भी घोषणा भी की है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

--

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत

जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान ने 3 दिसम्बर, 2011 को इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की हाल की पहलकदमियों पर चर्चा करने के लिए मानव संसाधन / प्रशिक्षण प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की थी। उक्त बैठक में बैंकों से 31 वरिष्ठ मानव संसाधन व्यावसायिकों ने सहभागिता की थी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

10.0
9.5
9.0
8.5
8..0
7.5
7.0
01/12/11 03/12/11 05/12/11 10/12/11 12/12/11 17/12/11 19/12/11
20/12/11 22/12/11 23/12/11

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2011

- बाज़ार में सामान्यतया चलनिधि की कठिन स्थिति बनी रही।
- मांग मुद्रा दरें माह में 10 दिन के बाद स्थिर हो गईं।
- मांग मुद्रा बाज़ार ने 23 वीं दिस्म्बर को 8.76% के स्तर पर पहुंच कर अंतरपणन के अवसर उपलब्ध कराए।
- प्रणाली में निधियों के अभाव के कारण मांग दरें एक-दिवसीय मांग मुद्रा बाज़ार के समक्ष सकारारात्मक बनी रहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

85
80
75
70
65

60
55
50
45

20

07/12/11 08/12/11 09/12/11 13/12/11 14/12/11 15/12/11 16/12/11
22/12/11 23/12/11 26/12/11 29/12/11

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 1 दिसम्बर को डालर के मुकाबले रुपया 1.4% उच्चतर स्तर अर्थात् 51.46 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कम्पनियों और सरकारी ऋण में लगभग 50,000 करोड़ रुपये लाए जाने की आशा से मुद्रा बाज़ार में प्रसन्नता छा गई।
- रुपये की संभावना कमजोर बनी हुई है। विश्लेषकों के अनुसार वह 53.50 -54 तक जा सकता है।
- एशिया की सबसे खराब कार्य-निष्पादक मुद्रा रुपया 53.52 के अन्त: दिवसीय कम स्तर पर पहुंचने के बाद 13 वीं को अमरीकी डालर के समक्ष 0,7% के कम स्तर अर्थात् 53.22 पर बंद हुआ।
- 54.20 के कम स्तर पर लुढ़कने के बाद 15वीं को रुपया डालर के मुकाबले 53.66 पर बंद हुआ। रुपये में अस्थिरता को रोकने के लिए भारतीय रुज़र्व बैंक आगे आया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिलहाल प्रतिकूलता को रोक दिया है। रुपया 2% के उछाल के साथ 52.70 पर पहुंच गया। रुपया डालर के समक्ष 53.65 के अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 52.70 पर बंद हुआ। 15वीं को वह 53.51 के न्यून स्तर पर पहुंच गया था।
- रुपये के अमरीकी डालर, जीबीपी, जापानी येन के समक्ष मूल्यह्रासित होने तथा माह के दौरान यूरो के मुकाबले मामूली तौर पर मूल्यवर्धित होने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाज़ार सामान्य तौर पर क्षुब्ध बना रहा।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

17500
17000
16500
16000
15500
15000

01/12/11 02/12/11 08/12/11 12/12/11 13/12/11 16/12/11 19/12/11
22/12/11 23/12/11 26/12/11 28/12/11 30/12/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जनवरी, 2012